Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग /
Guwahati / गुवाहाटी

आरबीआई, गुवाहाटी में वित्त वर्ष 2027-30 (01 अप्रैल, 2027 - 31 मार्च, 2030) के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और डेडस्टॉक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए फर्मों/ठेकेदारों का पैनल

प्री-बिड मीटिंग का कार्यवृत्त

ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में, 06 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे चौथी मंजिल, वीसी रूम, बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, गुवाहाटी में एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी।

2. **(क) बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों की सूची:**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री नबीन खखलारी	उप महाप्रबंधक
2	श्री रामानंद हवेलीकर	सहायक प्रबंधक
3	श्री एसके अजहर अली	सहायक

(ख) बैठक में उपस्थित कंपनियों/व्यक्तियों/फर्मों/ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की सूची:

क्रम संख्या	कंपनी/फर्म का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	मैसर्स एपी एंटरप्राइज	श्री उत्पल पॉल
2	मैसर्स मृण्मय कलिता	श्री मृण्मय कलिता
3	मैसर्स मोनजीत हजारिका	श्री मोनजीत हजारिका

3. नीचे दी गई एक विस्तृत तालिका विभिन्न फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और बैंक द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है:

क्रम संख्या	फर्मों द्वारा पूछे गए प्रश्न	स्पष्टीकरण/टिप्पणियाँ
1.	बैंक के साथ फर्म पंजीकरण/नामांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।	विक्रेताओं को बैंक के साथ पंजीकरण/नामांकन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। बैंक को कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।
2.	क्या उल्लिखित सभी कार्यों के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र आवश्यक है?	हाँ, यह पूर्व-योग्यता के लिए उल्लिखित सभी कार्यों के लिए अनिवार्य है। सरकारी/पीएसयू/कानूनी/संस्थागत ग्राहकों के लिए - प्रमाण पत्र एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। निजी पार्टी के कार्यों के लिए - इसके बजाय, उस कार्य के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

3.	क्या न्यूनतम 5 साल के अनुभव की गणना कार्य आदेश या पूरा होने की तारीख से की जाएगी?	31 अगस्त, 2026 तक, आवेदक के पास संबंधित व्यापार में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (यानी, पहला कार्य आदेश 31 अगस्त, 2021 या उससे पहले का होना चाहिए)।
4.	क्या बिना किसी पूर्व अनुभव के कोई स्टार्टअप फर्म पैनल के लिए आवेदन कर सकती है?	बिना अनुभव वाली फर्मों को अयोग्य माना जाएगा और उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
5.	क्या एक फर्म एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकती है?	चूंकि पैनल व्यापार-वार है, इसलिए कोई भी फर्म एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए, फर्म को स्वतंत्र रूप से प्रत्येक व्यापार के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों (समान कार्य, टर्नओवर, लाइसेंस/कानूनी अनुमति) को पूरा करना होगा और प्रासंगिक व्यापार और स्लैब के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और सॉल्वेंसी राशि जमा करनी होगी।

4. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूल दस्तावेज़ में एक फ़ोन नंबर गलत था। अद्यतन संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	फोन संख्या	ई-मेल आईडी
1.	श्री एसके अजहर अली	+91 9088164961	skazaharali@rbi.org.in

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पूर्वोत्तर राज्य